

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 39/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/49

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई बैंक टावर, बान्द्रा, बनाम कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई 400051 तथा शाखा कार्यालय उदयपुर

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

1. श्री सत्येन्द्र कुमार, निवास पता केयर ऑफ शीश राम, गणपति सदन, फ्लेट नं.1 चेतक कॉम्पलेक्स, बांसवाड़ा (ऋणी)
2. श्रीमती बिरमा देवी, निवास पता गणपति सदन, फ्लेट नं.1 चेतक कॉम्पलेक्स, बांसवाड़ा (सहऋणी)

निर्णय


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 08-12-2023

प्राधिकृत अधिकारी, आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई बैंक टावर, बान्द्रा, कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई 400051 तथा शाखा कार्यालय उदयपुर की ओर से श्रीमती श्वेता जैन, श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आई.सी.आई.सी.आई होम फाईनेंस लिमिटेड द्वारा 1- श्री सत्येन्द्र कुमार, निवास पता केयर ऑफ शीश राम, गणपति सदन, फ्लेट नं.1 चेतक कॉम्पलेक्स, बांसवाड़ा (ऋणी) 2- श्रीमती बिरमा देवी, निवास पता गणपति सदन, फ्लेट नं.1 चेतक कॉम्पलेक्स, बांसवाड़ा (सहऋणी) को दिनांक 23-07-2021 ऋण करार सं. LHUDP00001377816, LHUDP00001377819 से 10,00,000 एवं 44,060 कुल 10,44,060

(दस लाख चवालिस हजार साठ रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी।



  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थीगण ने ऋण लेने के पश्चात् नियमानुसार उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर आईसीआईसीआई होम फायनेंस द्वारा अप्रार्थीगण का खाता सं. **LHUDP00001377816, LHUDP00001377819** को दिनांक **03-01-2023** को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणों के खाते दिनांक **09-01-2023** तक कुल बकाया राशि **10,82,033** रु. एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति श्री सत्येन्द्र कुमार, का, फ्लेट नं.1 गणपति सदन, चेतक कॉम्प्लेक्स, बांसवाड़ा है को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त एवं कम्पनी मामलो के मन्त्रालय की अधिसूचना सं. एस 01282(ई) दिनांक 10.11.2003 के अनुसार आई सी आई सी आई हॉम फाइनेंस लिमिटेड, मुम्बई को वित्तीय संस्था माना गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **10-01-2023** को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणों को दिनांक



कलक्टर एवं जिजा मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

23-07-2021 को रु. 10,44,060 रुपया ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 22-06-2023 को जारी किया। अप्रार्थीगणों के नोटिस दिनांक 13-07-2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुए एवं अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 13-07-2023, 28-07-2023, 10-08-2023, 13-09-2023 को उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। तत्पश्चात् अप्रार्थी सं.1 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी सं. 2 दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थीगण आज पेशी दिनांक को भी अनुपस्थित हैं। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणों को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 व 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अप्रार्थी सं. 1 का जवाब बंद कर समस्त अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

दिनांक 08-12-2023 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 10-01-2023 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया न ही कोई कार्यवाही की। इस न्यायालय द्वारा भी अप्रार्थीगणों को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे

हैं। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना




  
कलकत्ता जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)

पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाँसवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात आई सी आई सी आई होम फाइनेंस लिमिटेड को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 08-12-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बांसवाड़ा (राज.)  
बांसवाड़ा (राजस्थान)